प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बदायूँ।

लखनऊ: दिनांक : 03 नवम्बर, 2014

राजस्व अनुभाग-10

विषय -**वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-138(1)/तीन-संग्रह(आपदा), दिनांक 08.08.2014 तथा पत्र संख्या-192(1)/तीन-संग्रह(आपदा), दिनांक 27.08.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित लोक निर्माण विभाग, बदायूँ के कुल 25 कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल धनराशि रू0 7,26,06,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,81,51,500/- शासनादेश संख्या-237/1-10-2014-12(52)/13, दिनांक 04.03.2014 द्वारा स्वीकृत की गयी थी। अग्रेत्तर शासनादेश संख्या-494/1-10-2014-12(52)/13, दिनांक 26.06.2014 द्वारा नीचे उल्लिखित सड़कों में से क्रमांक-1 से 8 तथा 14 से 17 तक की 12 सड़कों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,77,12,000/- द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी। जिलाधिकारी बदायूं द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उक्त 25 सड़कों हेतु अवशेष **रू0 3,67,42,500/- (कुल रूपये तीन करोड़ सड़सठ लाख बयालीस हजार पाँच सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि (लाख रू0 में)	द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत म्याऊँ सैजनी मार्ग से लभारी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	35.12	8.78
2	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत हजरतपुर से भाऊनगला मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.46	9.865
3	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत गढ़िया रंगीन से लालपुर खादर मार्ग की मरम्मत का कार्य	12.04	3.01

4	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत के अन्तर्गत लालपुर खादर से हर्रामपुर मार्ग की मरम्मत का काय	31.90	[illegible].975
5	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत लालपुर खादर हर्रामपुर से शेरपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	3.49	0.8725
6	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत कछला ननाखेड़ा भूड़ा भदरौल मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.90	9.975
7	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत उसहैत सरेली कमलू नगला वाया बेहटी भकरी मार्ग की मरम्मत का कार्य	34.81	8.7025
8	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत असमाया रफतपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	49.97	12.4925
9	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत सहसवान नाधा मार्ग के किमी–11 से जरारा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	8.77	6.5775
10	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत खरकवारी मानपुर टप्पा जामिनी मार्ग की मरम्मत का कार्य	44.15	33.1125
11	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत सहसवान डकारापुख्ता टोटपुर करसरी मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.89	29.9175
12	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत वजीरपुर से अंम्बियापुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	10.83	8.1275
13	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत शाहपुर पटपरागंज से रंजीतपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	11.82	8.865
14	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत बिसौली आसफपुर मार्ग से गोरहा मार्ग की मरम्मत का कार्य	28.42	7.105
15	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत नरऊखुर्द सम्पर्क मार्ग किमी0–1 व 2 की मरम्मत का कार्य	18.35	4.5875
16	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत कादरचौक से सिरसा दबरई मार्ग के किमी0–5 व 6 की मरम्मत का कार्य	23.25	5.8125
17	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत इकलहरा पथरामई मार्ग से जसतनगला वाया प्रेमी नगला मार्ग के किमी0–1, 2, 3 में मरम्मत का कार्य	37.53	9.3825
18	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत दानपुर से रूकन्दीनगर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	28.58	21.435
19	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत सहसवान नाधा मार्ग के किमी0–19 से गोबरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	23.13	17.3475
20	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत एम0बी0 मार्ग के किमी0–172 से मुस्तफाबाद जरेठा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.26	29.445
21	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत बिसौली सहसवान किमी0 27 से होतीपुर गहलोल दरियापुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.55	29.6625
22	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत बिसौली इस्लामनगर मार्ग से नसरौल सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	23.74	17.805
23	वर्ष 2013–14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत रसूलपुर से भोजीपुरा पावई मार्ग पर महावा सेतु की एप्रोच रोड पर मरम्मत का कार्य	48.45	36.3375

		[illegible]	23.64
24	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत के अन्तर्गत वी0क0क0 मार्ग किमी0 8 से सिरतौला सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत का कार्य	22.53	16.8975
25	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत के अन्तर्गत गदनपुर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत का कार्य		
	योग	726.06	367.425

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुन: यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ् पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि

विभाजित नहीं किया जायेगा अपितु निरन्तरता या विभिन्न परियोजनाओं का एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अत. राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

3/11/14

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

<u>संख्या-एम0पी0-7(1)/1-10-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ।

5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।